

क्रमांक -



राजस्थान नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

विजया राजे सिंहिया नगरावासीय योजना

भूखण्डों की सं. 554

- झालावाड़ सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 12 एवं गणेश उद्यान के समीप।
- रानपुर में न्यास की आवासीय योजनाओं, शैक्षणिक व संस्थागत योजनाओं एवं प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना के मध्य स्थित।
- रानपुर में ट्रीपल आईटी एवं प्रस्तावित दो निजी विश्वविद्यालयों के समीप।
- न्यास की पूर्व स्वीकृत आवासीय योजना से सटी हुई है।



आवेदन पत्र की विक्रय
आरम्भ करने की तिथि

आवेदन पत्र जमा कराने
की अन्तिम तिथि

12 अगस्त
2016

13 सितम्बर
2016

लोक सेवा केन्द्र

श्री यजपाल सिंह शेखावत

नगरावासीय विकास आवासीय एवं स्वाच्छा योजना मंत्री

राजस्थान सरकार

500/-

नगर विकास न्यास कोटा



आपॉलीमेन्ट्री के राज

2. आवंटन पत्र के साथ चमा होने वाले दस्तावेज़-

आवेदन प्रीलिंक के अनिम पुष्ट पर उल्लेखित बैंक के पायथ मे अप्ला Online form न्यास की Website www.uikitota.org अप्ला किसी भी ई-मित केन्द्र से प्राप्त होने वाले हो।
पुरु प्राप्तिका रुप्त 2000/- सोहेत जीरे हिमाण्ड श्राप्त
फ्री होने का मूख्य/आवास नहीं होने का स्व. पोषण पत्र।
6. आप प्रमाण पत्र (सलंगन प्राप्त के साथ) के नाम से चमा होने वाले हो।

1. पेन कार्ड की त्व. अनुप्रमाणित प्रति।[एस एस 110 के बोर्ड]
2. आवंटन अपने खाते का एक Cancelled चेक CTS 2010 संलग्न करें।

3. निवास प्रमाण-पत्र सम्बिल दस्तावेज प्रस्तुत करें।
4. अपार आवंटन वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बिल दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड
फ्री होने का मूख्य/आवास नहीं होने का स्व.
पोषण पत्र।
6. आप प्रमाण पत्र (सलंगन प्राप्त के साथ)

- 1 अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूजलाइ छारी है।
2 नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पदा प्राप्त करें।
3 नियमानुसार नियमण रूपीकृति प्राप्त कर नियमित करावें।
4 नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
5 अदैश अनियमित योजनाओं में भूजलापड नहीं छारी है।
6 कोई भी भूजलापड छारी होने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास करा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
7 भूजलापड ले-आउट ले-आउट प्लान अवश्य देखें, निधारित शुल्क पर भूगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्राप्तिल पति भी प्राप्त की जा सकती है।
8 अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमिका लपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

नगर विकास न्यास बारा ई-आवश्यन के माध्यम से कोई भी मूख्य नगर विकास न्यास की Website: www.uikitota.org अध्यवादुमप-07442500539 पर सम्पर्क करें।
सभ्यता अपनी संरक्षित एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।

एमफुमार मेहता

अध्यक्ष

नगर विकास न्यास, कोटा

Complimentary Copy

कोटा में बढ़ते शहरीकरण के कारण भूखण्डों की विक्रय दर अधिक हो गई है।

जिससे कमजोर आय वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भूखण्डों को खरीद पाना कठिन हो गया है। इस कठिनाई को महसूस करते हुए एवं जनहित को दृष्टिगत नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विजया राजे सिंधिया नगर आवासीय योजना में भूखण्डों के आवेदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 554 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 554 निर्धारित है, जिसमें बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लाटरी पहली से किया जाएगा। जिसमें सभनित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

सभनित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
4. अपार आवंटन वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सभनित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड फ्री होने का मूख्य/आवास नहीं होने का स्व.
पोषण पत्र।
6. आप प्रमाण पत्र (सलंगन प्राप्त के साथ)
आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 554 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 554 निर्धारित है, जिसमें बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लाटरी पहली से किया जाएगा। जिसमें सभनित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आवश्य की व्यवस्था की गई है।
आवंटन पुस्तिका में आवेदन की शर्तें, भूखण्डों के दर, भूखण्डों के साइज आदि विन्दुओं का उल्लेख कर दिया है। अतः इस योजना में आवेदन कर लाय उठावें।

शुभकामनाओं सहित।
डॉ० मोहन लाल यादव
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

(1)

नगर विकास न्यास, कोटा

योजना स्थल :-

विजया राजे स्थानिक्या नगर आवासीय योजना

नगर विकास न्यास द्वारा राजनपुर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग, अल्प वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग हेतु महत्वाकांक्षी आवासीय योजना तैयार की गई है। उक्त योजना में शूप हाउसिंग एवं प्लॉट्स हेतु भूखण्डों का प्रावधान रखा गया है। योजना में विद्यालय, अन्य सामुदायिक सुविधाएं एवं जनोपयोगी सुविधाएं व धार्मिक सुविधाओं का प्रावधान भी रखा गया है। योजना में 36 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर चौड़ी सड़कों का प्रावधान रखा गया है तथा पर्याप्त मात्रा में पार्क/खुले स्थल का प्रावधान रखा गया है।

योजना की विशेषताएँ :-

- इंटालावाड़ सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- गणेश उद्यान के समीप।
- राजनपुर में न्यास की आवासीय योजनाओं, शैक्षणिक व संस्थागत योजनाएं एवं प्रस्तावित वाणिज्यक योजना के सम्मिलन में स्थित है।
- न्यास की पूर्व में खींचकूल यानुपर आवासीय योजना से सटी हुई है।
- राजनपुर में न्यास भूमि पर प्रस्तावित वाणिज्यक केन्द्र से सटी हुई है।
- श्रीपल आड़ी को आंवटित भूमि के समीप।
- राजनपुर में प्रस्तावित 2 बिंदी विश्वविद्यालयों के समीप।
- वीको के संस्थागत एवं औद्योगिक क्षेत्र के समीप।

क्र. स.	क्षेत्री संख्या	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों की माप वर्ग मीटर में	अनुमानित कोमत R.S.	पंजीयन राशि R.S.	पात्रता हेतु आप वर्ग (राशि क. प्र. माह)
1. EWS	158	40.5	1550/- प्रति वर्ग मीटर	10000/-	10000/-	10000/-
2. LIG	61	72	3720/- प्रति वर्ग मीटर	15000/-	10001 से 15000	10000/-
3. MIG	220	112.5 से 162 तक	6200/- प्रति वर्ग मीटर	25000/-	15001 से 30000	15000/-
4. MIG A	82	252	6510/- प्रति वर्ग मीटर	30000/-	300001 से 45000	30000/-
5. MIG B	27	405	6820/- प्रति वर्ग मीटर	35000/-	45001 से 65000	30000/-
6. HIG	6	540	7440/- प्रति वर्ग मीटर	50000/-	65001 से अधिक	30000/-
कुल भूखण्ड		554				

पंजीयन राशि के साथ 2000/- रु. प्रशासनिक शुल्क राशि जमा होगी, जो अदेय है। (Non Refundable)

योजना का विवरण :-

उक्त योजना में न्यास ने **554** भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये हैं। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। उक्त योजनाओं में कानून भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इसी भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य मर्यादा यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
- आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए। (EWS एवं LIG को छोड़कर)
- 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड / फ्री होल्ड का भूखण्ड / आवास नहीं होना चाहिए।
- निधिरित श्रेणी में आवेदन करने हेतु उसी आय वर्ग में होना आवश्यक है।
- संयुक्त नाम से आवेदन की स्थिति में दोनों एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

- आवेदन पत्र आवेदक पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं फार्म न्यास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फार्म को डाउनलोड करके उसे पूर्ण भरकर उक्त बैंक में जमा करवाना होगा जिसके साथ आवेदन पुस्तिका का मूल्य 500/-भी जमा करवाकर आवेदन पुस्तिका प्राप्त करके Online फार्म पर बैंक से प्राप्त आवेदन पुस्तिका का क्रमांक डाला जाएगा। आवेदक अपने नाम से केवल एक आवेदन अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवं चालान भरकर जमा करा सकता है। आवेदन ई-मिट्र के माध्यम से एवं जमा किये जा सकते हैं।
- सभी श्रेणीयों के लिए आवेदन पत्र एक ही है कृपया कोडक में सही (✓) का फार्म संलग्न करना आवश्यक है। जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया जाये, उसी श्रेणी का चालान चिन्ह लगायें।
- आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट गोटे अक्षरों में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/ज़िले का नाम, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखे तथा निधिरित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFC कोड लिखे।
- आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।

विशेष अनुदेश

- (EWS एवं LIG के छोड़कर) आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही PAN CARD की स्वअनुप्राणित प्रति अवश्य लगाए।
- आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चेक (cancelled cheque CTS 2010) संलग्न करें।
- कृपया एस टी डी कोड सहित अपना फोन नं०, ई-मेल आईडी और मोबाइल नं०, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास लग जाएगा।
- निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
- आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
- पैन रिपोर्ट की वापसी का चेक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पाते का उल्लेख करें।
- आवेदन कराने समय की आय को आधार माना जाएगा। सेवानिष्ठता कार्यक्रमों/सेविकों की जमीनपर भेजनहीं आय का आधार होगी। उन्हें अपनी बैंक पासबुक की प्रति/पेंशनडायरी की जमीनपर भेजन करनी होगी।
- आवेदन पत्र के साथ निधिरित प्राप्त में आयप्रमाण पत्र सलांग नहीं करने पर आवेदन निराकारिता जाएगा।

9. पूर्जीकरण रोशन का विवरण लिखें, डिमांड ड्रॉपट सोल्यूशन, नगर विकास कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए। यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रयोग करता है तो उसे पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र के साथ फार्म की लागत के रूप में राशि 500/-रु0 (जिसमें वेट राशि शामिल है) सहित पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ में वर्णित बैंक शाखाओं में जमा करवानी होगी।

आरक्षण :-

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें उसी वर्ग के लिए लॉटरी में समिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फार्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जायेगा।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	सैनिक / सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ	अनुसूचित जाति के जनजाति	शारीरिक निश्चय जन के लिए	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
10%	10%	9%	6%	3%	2% 60%

स्पष्टीकरण :

- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय / राज्य क स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पैशानर को इस वर्ग में नहीं माना जायेगा।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है ऐसे व्यक्ति का राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी से होता है।
- सैनिकों की विधवाये वे हैं जिनके पति सैनिक रहे हों एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हों।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं जिन्हे राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हों।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं।
- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आवेदकों को किया जायेगा।
- सांख्यकता आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- आवेदन करते समय की आय को आधार मानकर पात्रता निर्धारित की जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सैनिकों की वर्तमान पेंशन को ही आय का आधार माना जायेगा। आय के सम्बन्ध में ऐसे आवेदक अपनी वर्तमान शैक्षणिक पास बुक की प्रति / पेंशन डायरी में वर्तमान पेंशन की प्रतिलिपि लिखन करें।

आवेदन कस कर

- इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड फ्रैपट द्वारा जमा करना होगा।
- पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड फ्रैपट /पे-ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी।
- आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समाप्तन से पूर्व दिए जाएंगे। यूआईटी समाप्तन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि योजना की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के छा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी संशर्ट आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 13-09-2016 है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गों के लिए

- निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड फ्रैपट
- सभी आवेदन पत्रों के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन (स्थाई खाता संख्या) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।(EWS एवम् LIG को छोड़कर)
- निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
- 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व. घोषणा पत्र।
- सलग्न प्रारूप अनुसार आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चेक।

(ए) आरक्षित वर्ग के लिए:-

- उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
 - यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों से संबंध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मणिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मणिस्ट्रेट / तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की एवं अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - यदि आवेदक निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

पूर्ण रैणिकों के माले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी भी प्राप्त रोका गया था।

स्व घोषणा पत्र (समर्प्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

पुत्र / पति / पुत्री

आयु..... निवासी

घोषणा करता / करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा / शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फी होल्ड आवासीय मूख्यण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का / की मूल (बोनाफाइड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित मूख्यण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) मुझे या मेरे आश्रित को सरकारी / अद्देश्यसरकारी संस्था की किसी भी योजना में रियायती दर पर आवंटित आवास को 10 वर्ष पूर्व बेचान नहीं किया गया है

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

पुत्र / पति / पुत्री श्री

भा० पुणिमा ठिका जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पुत्र / पुत्री / पति श्री इस विभाग में
भा० यह कामगति है कि यह ये राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपकरण की नियमित कामगति है। इसमें यहाँ सकल भारिक आय रु0 प्रति माह है।

किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय संबंधी स्व घोषणा पत्र

(गेर वेतन भोगी / निजी व्यवसाय / निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पुत्र / पुत्री / पति श्री जाति
निवासी

जिला.....

राज्य की स्वयं की सकल मासिक आय रु0.....

गठसील.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

पुत्र / पति / पुत्री श्री

घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि बागर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

भा० पुणिमा ठिका जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

भा० यह कामगति है कि अनुसार सही है एवं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि बागर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

के हस्ताक्षर मय योहर
विभाग / उपकरण का नाम



नगर विकास न्यास, कोटा

पंजीयन राशि जमा करने की अन्तिम तिथि :- 13.09.2016

नवीनतम्
सत्यापित
फोटो

क्रमांक

आवेदन पत्र

विजया राजे सिधिया नगर आवासीय योजना

- आवेदक का नाम :
- आवेदक के पिता/पति का नाम :
- आवेदक का स्थाई पता :

..... मोबाइल/टेलिफोन नं

- बैंक खाता संख्या बैंक का नाम IFC Code

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) (EWS एवं LIG के छोड़कर)

5. आधार कार्ड नं.

6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी
क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) .

7. आप यदि आरक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं :- (कोष्ठक में ✓ चिन्ह लगायें।)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) सामान्य

राज्य/अर्द्ध राज्य सरकार के कर्मचारी अधिस्वीकृत पत्रकार शारीरिक निःशक्तजन

7.A आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी

कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

8. पंजीयन राशि जमा का विवरण :- EWS LIG MIG MIGA MIGB HIG

(1) चालान _____ (2) दिनांक _____

(3) राशि _____

9. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र कृपया लगी (✓) का चिन्ह लगायें।

PAN CARD D.D. Cancelled Cheque CTS 2010 जब्त प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र 1,00,000 की जनसंख्या में आवास/भूखण्ड नहीं होने का सम्बन्ध पत्र

10. मैंने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित हरे स्वीकार है।

11. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड/आवास का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास

द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

12. समय - समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

13. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : _____

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :

विजया राजे सिधिया नगर आवासीय योजना

क्रमांक

आवेदन क्रमांक

चालान राशि

बैंक व शाखा का नाम

चालान संख्या

जमा करने की तिथि

<p>A/c No. 0348104000070328</p> <p>नगर विकास न्यास, कोटा</p> <p>प्रथम प्रति</p> <p>कोटा द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु</p> <p>दिनांक १०.०८.२०</p> <p>(जमाकर्ता द्वारा अपने फर्म के साथ संलग्न करने हेतु)</p> <p>चालान नं. ४६३२ दिनांक</p> <p>आवेदक का नाम</p> <p>आवेदक के पिता / पति का नाम</p> <p>पता</p>	<p>A/c No. 0348104000070328</p> <p>नगर विकास न्यास, कोटा</p> <p>द्वितीय प्रति</p> <p>कोटा द्वारा स्ट्रेट के साथ यूआईटी को प्रस्तुत करने हेतु</p> <p>दिनांक १०.०८.२० दिनांक</p> <p>चालान नं. ४६३२ दिनांक</p> <p>आवेदक का नाम</p> <p>आवेदक के पिता / पति का नाम</p> <p>पता</p>	<p>A/c No. 0348104000070328</p> <p>नगर विकास न्यास, कोटा</p> <p>तृतीय प्रति</p> <p>कोटा द्वारा अपने पास रखने हेतु</p> <p>दिनांक १०.०८.२० दिनांक</p> <p>चालान नं. ४६३२ दिनांक</p> <p>आवेदक का नाम</p> <p>आवेदक के पिता / पति का नाम</p> <p>पता</p>																																				
<p>पिजाया राजे सिंहिया</p> <p>नगर आवासीय योजना</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> </tr> <tr> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>EWS</p>	विवरण	रुपये	विवरण	रुपये	पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-	<p>पिजाया राजे सिंहिया</p> <p>नगर आवासीय योजना</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> </tr> <tr> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>EWS</p>	विवरण	रुपये	विवरण	रुपये	पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-	<p>पिजाया राजे सिंहिया</p> <p>नगर आवासीय योजना</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> <th>विवरण</th> <th>रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> <td>पंजीकरण राशि</td> <td>10000/-</td> </tr> <tr> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> <td>प्रशासनिक शुल्क</td> <td>2000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>EWS</p>	विवरण	रुपये	विवरण	रुपये	पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-
विवरण	रुपये	विवरण	रुपये																																			
पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-																																			
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-																																			
विवरण	रुपये	विवरण	रुपये																																			
पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-																																			
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-																																			
विवरण	रुपये	विवरण	रुपये																																			
पंजीकरण राशि	10000/-	पंजीकरण राशि	10000/-																																			
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-																																			
<p>अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र।</p> <p>फल्गु लाल</p> <p>आवेदक के हस्ताक्षर</p>	<p>अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र।</p> <p>बारह हजार मात्र।</p> <p>आवेदक के हस्ताक्षर</p>	<p>अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र।</p> <p>बारह हजार मात्र।</p> <p>आवेदक के हस्ताक्षर</p>																																				

No. 0348104000070328	A/c No. 0348104000070328	
नगर विकास न्यास, कोटा	नगर विकास न्यास, कोटा	
प्रथम प्रति	द्वितीय प्रति	
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु) जान नं.	(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु) चालान नं.	
दिनांक	दिनांक	
दफ्क का नाम	आवेदक का नाम	
दफ्क के पिता / पति का नाम	आवेदक के पिता / पति का नाम	
पता	पता	
विजाया राजे सिंहिया नगर आवासीय योजना	विजाया राजे सिंहिया नगर आवासीय योजना	
विवरण	विवरण	
रुपये	रुपये	
जीकरण राशि	15000/- 2000/-	1500/- 2000/-
शासनिक शुल्क		
LIG	LIG	
योग :-	17000/-	योग :-
सारे रुपये	सारे रुपये	आवेदक के हस्ताक्षर
सतरह हजार मात्र।	सतरह हजार मात्र।	आवेदक के हस्ताक्षर
		आवेदक के हस्ताक्षर
		आवेदक के हस्ताक्षर

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
 प्रथम प्रति
 (जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)
 लालान नं. दिनांक
 आवेदक का नाम

वेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता

पिजया राजे सिंहिया

नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
पंजीकरण राशि	25000/-	पंजीकरण राशि	25000/-
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-

MIG

योग :- 27000/-

असरे रुपये सत्ताईस हजार मात्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
 हितीय प्रति
 (जमाकर्ता द्वारा अपने फर्म के साथ संलग्न करने हेतु)
 लालान नं. दिनांक
 आवेदक का नाम

वेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता

पिजया राजे सिंहिया

नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
पंजीकरण राशि	25000/-	पंजीकरण राशि	25000/-
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-

MIG

योग :- 27000/-

असरे रुपये सत्ताईस हजार मात्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
 दूसरीय प्रति
 (जमाकर्ता द्वारा अपने फर्म के साथ यूआईटी को प्रस्तुत करने हेतु)
 लालान नं. दिनांक
 आवेदक का नाम

वेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता

पिजया राजे सिंहिया

नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
पंजीकरण राशि	25000/-	पंजीकरण राशि	25000/-
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-

MIG

योग :- 27000/-

असरे रुपये सत्ताईस हजार मात्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
 चतुर्थ प्रति
 (४क द्वारा स्ट्रेटेंट के साथ यूआईटी को प्रस्तुत करने हेतु)
 लालान नं. दिनांक
 आवेदक का नाम

वेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता
 आवेदक के पिता / पति का नाम
 पता

पिजया राजे सिंहिया

नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
पंजीकरण राशि	25000/-	पंजीकरण राशि	25000/-
प्रशासनिक शुल्क	2000/-	प्रशासनिक शुल्क	2000/-

MIG

योग :- 27000/-

असरे रुपये सत्ताईस हजार मात्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
 राजस्थान सरकार

A/c No. 0348104000070328
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति

A/c No. 03481040000703
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु) लालानं नं वेदक का नाम दिनांक

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ सलान करने हेतु) चालान ज़ंक आवेदक का नाम दिनांक

दिनांक
चालान नं.
आवेदक का नाम
.....

विवरण	रुपये
विजायाराजो रिपोर्टिंग नगर आवासीय योजना	3000
विक्रेता क्रिएशन्स	200

विवरण	रूपये
जीकरण राशि	3000
शासनिक शुल्क	200

रुपये :- 32000/-

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार माला ।

बहारीमुद्रा दर्जाएँ सात्र	आख्ये कामे बल्लैस दुपार
योग :-	3200/-
योग :-	3200/-
योग :-	3200/-

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताना

आवेदक के हस्ताक्षर



IDBI BANK

(आई.डी.बी.आई. बैंक) की शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में इसी बैंक शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। बैंकिंग समय प्रातः 10.30 से 4 बजे तक
संपर्क सूत्र :- 5132041, 5132042, 5132043

KOTA



IDBI BANK Gode wala Circle,
381,382, Shopping Centre, KOTA (Raj.)

IDBI Express केन्द्र फार्म जमा एवं प्राप्ति के लिए
समय प्रातः 10.30 से दोपहर 3.00 तक

Indravihar (New Kota)


Shop No. 3 Opp. Opera Hospital, Talwandi,
Kota Mob.: 9587795344

Gandhiji ki pul (Old Kota)

H.No. 1, Brijraj Pura Gandhiji ki pul chouraha ,
Kota Mob.: 8104323231

Station

Shop No. 18, Near Jain Dharamshala, Junction ,
Kota Mob.: 9314171553





मुद्रक: विठ्ठलपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., ५-बी-४६, विज्ञान नगर, कोटा फोन : २४२०१८९